न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
78/2008	20–02–2008	10/03/22

उनवान

01. घीसा
    1/1 – मनोहरलाल पुत्र स्व0 घीसा
    1/2 – कलावती पुत्री स्व0 घीसा
    1/3 – चिरंजीलाल पुत्र स्व0 घीसा
    1/4 – रेवती पुत्री स्व0 घीसा
    1/5 – मूलाराम उर्फ मूलचन्द पुत्र स्व0 घीसा
    1/6 – गायत्री पुत्री स्व0 घीसा जातियान अहीर निवासीगण ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. जगन पुत्रान रामलाल कोम अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: वादीगण

बनाम

01. बिल्लू पुत्र कालिया
02. मनोज
03. नीरज पुत्रान श्रीचन्द
04. सनीता पत्नी श्रीचन्द कोम अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1238 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा (6 बीघा 15 बिस्वा) ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित थे कि जिसके हाल खसरा नम्बर 1505 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा पैमुद किया गया है। जिसका 1/2 भाग प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक खसरा नम्बर 1238 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा का 1/2 भाग निस्फ हिस्सा हम वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिस पर हम बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दाख़िल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है तथा साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2020 से 2023 में व अन्य कागजात माल में हम वादीगण के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार काश्तकार हो रहा है तथा मौके पर हम काबिज व दाखिल है तथा फसल काश्त की हुई है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण या फिर इनके मृतक बुजुर्ग पिता/दादा श्री कालिया का कभी कोई किसी

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

था कि जिसने सैटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से साज बाज होकर गलत रूप से खिलाफ कानुन खिलाफ मौका विपरित रिकार्ड ऑफ राईट्स अपने नाम का अंकन संवत् 2029 में दर्ज करा लिया जो अंकन हाल चला आ रहा है। उक्त अंकन सरीहन गलत हुआ है। जो हम वादीगण के हक हकूकों के विरूद्व बातिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर हम वादीगण का नाम 1/2 भाग में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज व मंजूर किया जाना आवश्यक न्यायासंगत है। गलत अंकन प्रतिवादीगण के मृतक बुजुर्ग कालिया 0.13 का कभी नहीं रहा है। हम वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 हल्का पटवारी से दिनांक 07.08.2007 को प्राप्त की तो ज्ञान हुआ जिस पर हम वादीगण ने अन्य आवश्यक कागजात की नकल हासिल कर प्रतिवादीगण से दुरूस्ती हेतु कहां तो पहले तो प्रतिवादीगण ने विश्वास दिलाया कि वो दुरूस्ती करा देगें किन्तु अब दिनांक 15.01.2008 को दुरूस्ती कराने से साफ इंकार हो गये व जब्रन आराजी पर कब्जा करने व हम प्रार्थीगन/वादीगण को बेदखल करने की ऐलानिया तोर पर धमकी दी है कि जिससे अविलम्ब ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जबाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र चिरंजी पुत्र स्व0 श्री घीसा जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा, रतिराम पुत्र रामचन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा, होशियार पुत्र अर्जुन सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 (प्रदर्श 1), जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 (प्रदर्श 2), जमाबन्दी संवत् 2029 (प्रदर्श 3), जमाबन्दी संवत् 2062–65 (प्रदर्श 4), मृत्यु प्रमाण पत्र घीसा पुत्र रामलाल (प्रदर्श 5) पेश किये जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 1238 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1505 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा बने है। जमाबन्दी संवत् 2023 में घीसा, जगन 1/2 हिस्सा व बिल्लु पुत्र चुना 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। परन्तु जमाबन्दी संवत् 2029 में कालिया पुत्र गाहड का नाम जुड गया 13 बिस्वा भूमि पर जिसे हजफ कर वादी के नाम 1/2 भाग दर्ज किया जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1505 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर पर दर्ज कालिया पुत्र गाहड का 0.13 है0 हिस्सा हजफ कर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 को 1/2 भाग व वादी संख्या 2 के नाम 1/2 भाग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
78/2008

तारीख दायर
20-02-2008

तारीख फैसला
10/03/2022

उनवान

01. घीसा

1/1 – मनोहरलाल पुत्र स्व0 घीसा
1/2 – कलावती पुत्री स्व0 घीसा
1/3 – चिरंजीलाल पुत्र स्व0 घीसा
1/4 – रेवती पुत्री स्व0 घीसा
1/5 – मूलाराम उर्फ मूलचन्द पुत्र स्व0 घीसा
1/6 – गायत्री पुत्री स्व0 घीसा जातियान अहीर निवासीगण ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर

02. जगन पुत्रान रामलाल कोम अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

बनाम

01. बिल्लू पुत्र कालिया
02. मनोज
03. नीरज पुत्रान श्रीचन्द
04. सनीता पत्नी श्रीचन्द कोम अहीर निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल खसरा नम्बर 1505 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर पर दर्ज कालिया पुत्र गाहड का 0.13 है0 हिस्सा हजफ कर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6 को 1/2 भाग व वादी संख्या 2 के नाम 1/2 भाग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)